



302

पत्रांक : सम्बद्धता / 206
दिनांक : 15 - 6 - 2015

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79 वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में ग्लोबल कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कुशलिया, पोस्ट-रजापुर डासना जिला-गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी० (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शिक्षकों एवं प्रबन्ध समिति का अनुमोदन अपेक्षित होने, एफ0डी०आर० पर पाठ्यक्रम का नाम अंकित होने एवं कलसचिव के नाम बंधक होने तथा नवीनीकरण का प्रमाण पत्र न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से आगामी पांच वर्षे हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुके अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित असिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष 15 अगस्त तक प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार ग्लोबल कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कुशलिया, पोस्ट-रजापुर डासना जिला-गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी० (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2015 से आगामी पांच वर्षे हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा दिनांक 30.06.2015 तक शिक्षकों व प्रबन्ध समिति के अनुमोदन का प्रमाण पत्र एवं एफ0डी०आर० पर पाठ्यक्रम का नाम, प्लैज़ शब्द अंकित एवं एफ0डी०आर० के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देगा अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मवदीय,
५८१७/५८१८
१५/१८
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, ग्लोबल कालेज ऑफ लॉ, ग्राम-कुशलिया, पोस्ट-रजापुर डासना जिला-गाजियाबाद।
3. सचिव, बार कौसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-2।
4. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाईट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल- हेतु।

कुलसचिव